प्रेस नोट दिनांक 23.12.2025

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुकान पर जबरन निर्माण एवं मारपीट की घटना से संबंधित 10,000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त संदीप कुमार दूबे उर्फ संतोष दूबे गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बीरापुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त घटना के संबंध में पूर्व में दिनांक 20.11.2025 एवं 25.11.2025 को पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई थीं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.11.2025 को वादी निवासी जैरामपुर, थाना रानीगंज द्वारा अवगत कराया कि वह सुबह अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय विपक्षीगण राजेन्द्र प्रसाद पटेल, असफाक अहमद, तब्बू उर्फ़ तबरेज, संतोष दूबे एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति कई वाहनों से पहुंचकर वादी की दुकान की शटर तोड़ने तथा भूमि पर जबरन निर्माण का प्रयास कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने वादी को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190 119(1), 115 (2),352,351 (3),324 (4) BNS बनाम 04 नामजद व कुछ लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 नारायण जी, का0 संतोष द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 190 119(1), 115 (2),352,351 (3),324 (4) BNS से संबंधित 10,000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त, संदीप कुमार दूबे उर्फ संतोष दूबे पुत्र स्व0 कमला प्रसाद दूबे निवासी ग्राम जगदीशपुर बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 36 वर्ष, को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बीरापुर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में धारा 191(3) एवं 190 BNS की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.संदीप कुमार दूबे उर्फ संतोष दूबे पुत्र स्व0 कमला प्रसाद दूबे निवासी ग्राम जगदीशपुर बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 36 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 नारायण जी, का0 संतोष थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

हत्या, हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त अजय कुमार वर्मा को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पूरे बान भग्गू का पुरबा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 07.12.2025 को वादी व उनके भाई को आरोपीगण द्वारा शराब के नशे में जातिसूचक गालियाँ देते हुए जान से मारने की नीयत से बाँस, लाठी व डंडों से मारपीट की गई, जिससे वादी के भाई के सिर पर गंभीर चोट आई। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 348/2025 धारा 191 (2)/115 (2)/352/109 (1) बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) (va), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम 02 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी के भाई का इलाज एसआरएन प्रयागराज में चल रहा था। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 मनीष कुमार पाण्डेय व का0 कुशाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 348/2025 धारा 191 (2)/115 (2)/352/109 (1)/103 (2) बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) (va), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त, अजय कुमार वर्मा पुत्र राजबली वर्मा निवासी पूरे भग्गू पीपरताली थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पूरे बान भग्गू का पुरबा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अजय कुमार वर्मा पुत्र राजबली वर्मा निवासी पूरे भग्गू पीपरताली थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह का0 मनीष कुमार पाण्डेय व का0 कुशाल सिंह थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व फायरिंग के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.12.2025 को वादी निवासी ग्राम पूरेधनी थाना आसपुर देवसरा, के भाई को आरोपीगणों द्वारा फायरिंग कर घायल कर देने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 345/25 धारा 109 (1), 61(2), 3(5) बीएनएस 06 व्यक्ति नामजद व 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना आसपुर देवसरा प्रभारी श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 आशिष पटेरिया मय हमराह का0 कैलाश द्वारा तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के मु0अ0सं0 345/25 धारा 109 (1), 61(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त हरीश्चन्द्र तिवारी पुत्र शिवसहाय तिवारी निवासी ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- हरीश्चन्द्र तिवारी पुत्र शिवसहाय तिवारी निवासी ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आशिष पटेरिया मय हमराह का0 कैलाश थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

हत्या, हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अनुज यादव को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -

अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही घटना में घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 07.12.2025 की शाम वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा हॉकी व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। जिसके संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 231/2025 धारा 191(2), 190,

191(3), 115(2), 109(1), 131, 352, 351(3) BNS व 3(1), 3(1)ध, 3 (2)V, 3(2)VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ बनाम 08 नामजद एवं 4–5 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। घायल वादी को सीएचसी सांगीपुर से लखनऊ रेफर किया गया, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोग उपरोक्त में धारा 103(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे व म0का0 गुन्चा सनोवर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 231/2025 धारा- 103(2), 191(2), 190, 191(3), 115(2), 109(1), 131, 352, 351(3) BNS व 3(1), 3(1)ध, 3 (2)V, 3(2)VA SC/ST एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, अनुज यादव पुत्र शिवभजन यादव निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनपुरशूर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा के बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1.अनुज यादव पुत्र शिवभजन यादव निवासी ग्राम लखनपुरसूर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
म0उ0नि0 स्वाति वर्मा मय उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे व म0का0 गुन्चा सनोवर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का सोनू कुमार (सादे वस्त्र में) द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2) बीएनएस थाना पट्टी, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है। बयान अन्तर्गत धारा 180,180(3) बीएनएसएस व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का सोनू कुमार (सादे वस्त्र में) थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कन्धई के उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह हमराह का0 बृजेश के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस नंबर 187/25 धारा 128 सीआरपीसी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त संजय सरोज पुत्र ओमप्रकाश सरोज निवासी सिकरी कानुपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.संजय सरोज पुत्र ओमप्रकाश सरोज निवासी सिकरी कानुपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष ।

पुलिस टीम- उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह हमराह का0 बृजेश थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।